# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

| दावा संख्या | रजू दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 250 / 2021 | 04.08.2021 | 25.05.2023 |

उनवान

1. भोलूराम पुत्र सूरजभान जाति माली निवासी शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
2. रतनलाल पुत्र ओमचन्द जाति माली निवासी शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
3. पूरणचन्द सैनी पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति माली निवासी शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
4. नेत्रपालसिंह पुत्र बलबीरसिंह निवासी शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
5. प्रहलाद पुत्र उमराव निवासी शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।

:–वादीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय,अलवर।
2. तहसीलदार,नीमराना जिला अलवर बैहसियत लैण्ड होल्डर।
3. खुशखेडा,निवाडी,नीमराना विनिधान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण रीको जरिये प्रबंधक।

:– प्रतिवादीगण।

दावा दुरूस्ती इन्द्राज
88,89,188,189आर0टी0एक्ट0।

उपस्थिती– 1 श्री राजू शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2 प्रतिवादी सं0 01 व 02 की ओर से जवाब दावा।

–::निर्णय::–

कावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हम वादीगण माली समाज के व्यक्ति है। तथा हम वादीगण अपने समाज के हितों के लिए यह दावा पेश कर रहे है। हाल आराजी ख.नं 1292 वाके ग्राम शाहजहापुर नोके पर गांव बसा तब से ही यानि करीब 100 साल से हम वादीगण के माली समाज के मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है। यह नं0 कभी भी बंजड नही रहा बलकि माली समाज की शमसान भूमि रही है। जो भूमि शमशान के काम आ रही है। तथा पीछे की सभी गिरदावरी संवत 2074 मे गै0मु0शमशान दर्ज किया हुआ है तथा उक्त ख0नं0 रा0राज मार्ग सं. 08 से लगता हुआ है। तथा रा0रा0मार्ग का छः लेन मे विस्तार किया गया जिस मे उक्त ख.नं. मे से 0.0057 भूमि अवाप्त की गई है जिसका ख0नं0 1292/2621/0.0057 राजमार्ग के नाम दर्ज किया जा चुका है। माली समाज के शमशान भूमि के ख.नं. 1292/0.1343 रह गया है जो मौके पर शमशान घाट की भूमि है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे बंजड गलत दर्ज रहने से नगर विकास न्यास भिवाडी के नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त ख0नं0 के रिकॉर्ड मे किस्म शमशान घाट की बजाय बंजड दर्ज होने व नगर विकास न्यास के नाम दर्ज रिकॉर्ड करने की जानकारी होने पर हम वादीगण के समाज द्वारा उक्त ख.नं. की मौका रिपोर्ट मंगाई गई। मौका स्थिति के अनुसार आराजी हम वादीगण सैनी समाज के शमशान घाट की भूमि होने के कारण उसे राजस्व रिकॉर्ड मे शमशान घाट दर्ज करवाने व नगर विकास न्यास के नाम से मुक्त करवाने के लिए हम वादीगण के समाज द्वारा प्रतिवादी सं. 03 के कार्यालय मे प्रा0पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई रिपोर्ट के अनुसार आराजी ख0नं0 1292 शमशान घाट पिछले 100 सालों से है तथा सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई है। लेकिन अब उक्त नं0 को इंतकाल सं. 3892 दिनांक 26.02.2021 के जरिये प्रतिवादी सं0 03 के नाम बेजा दर्ज कर दिया गया है।इसलिए हम वादीगण व हमारे समाज के व्यक्तियों द्वारा प्रतिवादी सं0 03 के कार्यालय पर दिनांक 18.07.2021 को

जाकर मिले तो उक्त नं0 को मुक्त करने के लिए कहा तो उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती करवाने के लिए कहा। इसलिए रैगी समाज के लोगों द्वारा एक आवश्यक सभा का आयोजन कर उसमे ख.नं. 1292 के राजस्व रिकॉर्ड को सही करवा कर गै0मु0शमशान घाट दर्ज करवाने के लिए न्यायिक कार्यवाही करने के लिए हम वादीगण को अधिकृत किया गया इसलिए हम वादीगण द्वारा यह दावा न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. अन्त मे वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि है—
(क) डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय की जारी की जावे कि आराजी ख.नं. हाल 1292/0.1343 वाके शाहजहाँपुर के हाल राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी सं. 03 का नाम कत्लमजन किया जाकर उक्त ख.नं. की किस्म बंजड को दुरूस्त किया जा कर तहसीलदार नीमराना,पटवारी हल्का शाहजहाँपुर तथा सरपंच ग्राम पंचायत शाहजहाँपुर की रिपोर्ट एंव ख.गिरदावरी के आधार पर उक्त ख.नं. को रैगी समाज का गै0मु0शमशान घाट दर्ज किया जाने की घोषणा फरमाई जावे एंव इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन करने के आदेश फरमाये जावे।
(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।
(ग) दीगर दादरसी जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादर फरमाई जावे।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया । वाद तामिल प्रति0 सं. 01 व 02 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया कि वादीगण अपने वाद का स्वयं सिद्ध करे,वाद सिद्ध होने की स्थिति मे डिक्री किया जाता है तो राज अहित की कोई संभवना नही है। दावा वादीगण खारिज योग्य खारिज किया जावे। प्रतिवादी सं0 03 बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुआ लिहाजा उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई।

4. वादीगण ने अपने वाद की पुष्टि मे साक्ष्य के रूप भोलूराम पुत्र सूरजभान का शपथ पत्र पी.डब्लू. 01, रतनलाल पुत्र ओमचन्द का शपथ पत्र पी.डब्लू. 02 व नेत्रपालसिंह पुत्र बलबीर का शपथ पत्र पी.डब्लू. 03,प्रहलाद पुत्र उमराव का शपथ पत्र पी0डब्लू0 04 व रामचन्द्र पुत्र रामजीलाल का शपथ पत्र पी.डब्लू. 05 पेश किए है, तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे फोटो प्रति मौका रिपोर्ट दिनांक 17.12.2018 प्रदर्श 01,तहसील कार्यालय नीमराना के पत्र कमांक 1133 दिनांक 21.12.2018 की छायाप्रति प्रदर्श 02,ख0गिरदावरी संवत 2074 प्रदर्श 03,नकल जमाबंदी संवत 2073–76 प्रदर्श 04,नकल नोटिस धारा 80 जा0दी0 प्रर्दश 05,रसीद पोस्ट ऑफिस प्रर्दश 06,07 पेश किये है।

5. वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति मौका रिपोर्ट प्रदर्श 01 मे अंकित किया हुआ है कि रैगी समाज द्वारा विगत काफी सालों से उक्त भूमि को शमशान के काम लेता रहा है। छायाप्रति तहसीलदार के पत्र कमांक 2112 के द्वारा उक्त ख0नं0 की मौका रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु सी0ई0ओ बीडा भिवाडी को प्रेषित की गई है। परन्तु बीडा द्वारा इस पत्र के संदर्भ मे कोई कार्यवाही की अथवा नही की वादीगण द्वारा स्पष्ट नही किया गया है। ख0गिरदावरी प्रदर्श 03 संवत 2074 मे उक्त भूमि मे शमशान होने का अंकन ह एंव नकल जमाबंदी संवत 2073–76प्रदर्श 04 के अनुसार आराजी विवादित रीको भिवाडी के नाम दर्ज है जिसकी किस्म बंजड है। वादीगण ने ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी पेश नही की जिससे यह साबित हो सके की विवादित आराजी की किस्म गै0मु0शमशान दर्ज रही हो। बलकि वादीगण द्वारा जो जमाबंदी पेश की गई है उस जमाबंदी मे विवादित भूमि की किस्म बंजड दर्ज है। वादीगण ने यह वाद दुरूस्ती इन्द्राज का पेश किया है,जिसमे वादीगण को यह साबित करना था कि किस संवत की जमाबंदी मे भूमि की किस्म शमशान के बजाय बंजड दर्ज की गई है, जिसे वे दुरूस्त कराना चाहते है परन्तु वादीगण द्वारा विवादित आराजी की किस्म (शमशान) के बाबत कोई रिकॉर्ड पेश नही किया गया है। जब विवादित आराजी की किस्म पूर्व से ही बंजड दर्ज है तो उसे दुरूस्त कर शमशान दर्ज किए जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। वादीगण अपने वाद को सिद्ध करने मे असफल रहे है वाद वादीगण काबिल खारिज है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

6. अतः आदेश है कि:—

वाद वादीगण बाबत दुरूस्ती इन्द्राज आराजी ख.नं. हाल 1292/0.1343 वाके ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

25/5/2023

मुकट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

| दावा सख्या | रजू दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 250/2021 | 04.08.2021 | 25.05.2023 |

उनवान

1. भोलूराम पुत्र सूरजभान जाति माली निवासी शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
2. रतनलाल पुत्र ओमचन्द जाति माली निवासी शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
3. पूरणचन्द सैनी पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति माली निवासी शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
4. नेत्रपालसिंह पुत्र बलबीरसिंह निवासी शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।
5. प्रहलाद पुत्र उमराव निवासी शाहजहॉपुर तह0 नीमराना।

:–वादीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय,अलवर।
2. तहसीलदार,नीमराना जिला अलवर बैहसियत लैण्ड होल्डर।
3. खुशखेडा,भिवाडी,नीमराना विनिधान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण रीको जरिये प्रबंधक।

:– प्रतिवादीगण।

दावा दुरूस्ती इन्द्राज 88,89,188,189आर0टी0एक्ट0।

उपस्थितीः– 1 श्री राजू शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2 प्रतिवादी सं0 01 व 02 की ओर से जवाब दावा।

दिनांकः 25.05.2023

## –::पर्चा डिक्री::–

वाद वादीगण बाबत दुरूस्ती इन्द्राज आराजी ख.नं. हाल 1292/0. 1343 वाके ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे।

25/5/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)